महत्वपूर्ण/तत्काल

संख्या– 674/सैंतीस–2–2022–5 (53)/18 टी0सी0–2

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।(चित्रकूट धाम मण्डल को छोड़कर)

पशुधन अनुभाग–2 लखनऊ :: दिनांक 04मई, 2022

विषयः–प्रदेश में संरक्षित निराश्रित/बेसहारा गोवंश के भरण–पोषण हेतु दान के माध्यम से भूसा संग्रहण के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत है कि निराश्रित/बेसहारा गोवंश का संरक्षण एवं भरण–पोषण वर्तमान सरकार के शीर्ष प्राथमिकताओं में है। 20वीं पशुगणना (2019) के अनुसार प्रदेश में लगभग 11.84 लाख गोवंश निराश्रित गोवंश के रूप में चिन्हित किये गये है। वर्ष 2019 में प्रख्यापित नीति के माध्यम से प्रदेश में स्थायी/अस्थायी गो आश्रय स्थलों की स्थापना कर दिनांक 31.03.2022 तक कुल 947698 निराश्रित गोवंश को संरक्षित कर उनका भरण–पोषण किया जा रहा है।

2. इस संबंध में शासन के पत्र सं0–532/सैतीस–2–2022–5(53)/2018 टीसी–2 दिनांक 21.04.2022 द्वारा गो आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंश के संरक्षण एवं भरण–पोषण हेतु पूर्व में निर्गत निर्देश के बिन्दु–3 में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि वर्तमान में प्रदेश में गेहूँ की कटाई का इस समय मौसम है, जिससे प्रदेश के प्रत्येक अंचल में भूसे की उपलब्धता है। अतः अधिकाधिक मात्रा में 31 मई 2022 तक भूसे को दान के रूप में प्राप्त कर भूसा बैंक में संग्रहित किया जाये।

3. शासन के संज्ञान में आया है कि चित्रकूट धाम मण्डल में दान के माध्यम से भूसा संग्रहण में उल्लेखनीय कार्य किया गया हैं, किन्तु अन्य मण्डलों में इस दिशा में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है। इस विषय में आवश्यक है कि जिलाधिकारीगण द्वारा नेतृत्व प्रदान कर

Scanned with CamScanner

दान दाताओं से सीधे सम्पर्क स्थापित किया जाय। दान दाताओं को स्थानीय स्तर पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया जा सकता है। शासन स्तर पर सर्वाधिक भूसा संग्रहण करने/विशालतम भूसा बैंक बनाने वाले टॉप–5 जिलो तथा टॉप–3 मण्डलों के मण्डलायुक्तों/अपर निदेशको/जिलाधिकारियो/मुख्य पशुचिकित्साधिकारियों को सम्मानित भी किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में प्रदेश में गेहूँ की कटाई का समय है और प्रत्येक अंचल में भूसे की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में है। अतः आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंश की वार्षिक आहार की आवश्यकताओं के दृष्टिगत अधिकाधिक मात्रा में भूसे को दान के रूप में प्राप्त कर भूसा बैंकों में संग्रहित किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

संo– 674 (1)/सैतीस–2–2022–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
4. समस्त अपर निदेशक, ग्रेड–2, पशुपालन विभाग (द्वारा निदेशक)।
5. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग उ0प्र0। (द्वारा निदेशक)।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

Scanned with CamScanner